RAJASTHAN SOLARPARK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

(A Govt. of Rajasthan undertaking)

(CIN NO. U40102RJ2011SGC036861)

Reg. Office: **E-166, Yudhishthir Marg, C-Scheme, Jaipur-302001**

Tel: 2225859, 2229341 **e-mail:** solar.rrec@gmail.com, nokhsolarpark@gmail.com

No.F.2(35) RSDCL/Nokh SP/TL/ROW/Compensation/ D. 253 Dated 25.11.2021

1. The Managing Director,
   Solar Energy Corporatin of India,
   6th Floor, Plate B , NBCC office Bolck,
   Tower-2, East Kidwai Nagar,
   New Delhi- 110023
2. The Director (Operation),
   RVPNL, Vidyut Bhawan, Jaipur
3. The Director (Technical),
   JVVNL, Vidyut Bhawan, Jaipur
4. The Director (Technical),
   JdVVNL, New Power House,
   New Power House Road, Basni, Jodhpur
5. The Director (Technical),
   AVVNL, Vidyut Bhawan,
   Makarwali Road, Panchsheel Nagar, Ajmer-305004

Sub: Regarding reasoned comments on the draft proposal towards compensation to villagers for Right of Way of Transmission Lines

Ref: Proposal received from District Collector, Bikaner, Jodhpur and Jaisalmer

Sir,

As you are aware that Rajasthan Solar Park Development Company Limited (a wholly owned subsidiary company of RREC) has in process of development of Solar Park of 925 MW capacity at Village: Nokh, Tehsil : Pokran, District: Jaisalmer. Wherein 4 nos. 220/33 kV Park Pooling Station and associated transmission lines is being constructed under transmission scheme of Nokh Solar Park.

These overhead EHV Transmission Lines are being passed through villages/ Dhanies of District: Jaisalmer, Bikaner and Jodhpur. During execution of work local villagers have regularly created hinderence to allow the activities such as check survey, foundation and erection works of towers etc. and express their discomfort of providing only crop compensation as per prevailing rules (As per provision of Indian Electricity Act, 2003). They are demanding compensation of land with comparing to compensation being provided by private Solar Project Developers and PGCIL in vicinity of Nokh and Bhadla Solar Park.

Looking to hinderence in ROW, matter was discussed in length with District authorities. As per suggestion from District administration for providing compensation to khatedar, District collectors, Bikaner, Jodhpur and Jaisalmer was requested to send reasonable amicable proposal after discussion with local villagers.

Contd...P/2...PTO

After receipt of separate proposal from District Collector, Bikaner/ Jodhpur and Jaisalmer draft proposal has been prepared to invite comments from stakeholders such as SECI, RVPN and Discoms, so that a clear methodology may be adopted for providing compensation arise in ROW of transmission lines.

In view of above, may I request you to examine the draft proposal (copy enclosed) at your level and provide reasoned comments within a week, so that final proposal may be forwarded to State for approval for uniformity in dealing such compensation case in future in State of Rajasthan.

Encl: a/a

(N S Nirwan)
Director (Technical),

CC to the following for information and n/a:

1. PA to Addl. Chief Secretary to Government, Department of Energy, Secretariat, Jaipur.
2. PS to CMD, RREC, for kind appraisal of CMD, RREC, Jaipur
3. PS to CMD, RVPN, Vidyut Bhawan, Jaipur.
4. PS to Chairman Discoms, Vidyut Bhawan, Jaipur.
5. General Manager (EC), RREC, Jaipur with request to arrange to upload draft proposal on RRECL website.

Encl: a/a

Director (Technical),
RSDCL, Jaipur

प्रारूप प्रस्ताव

विषयः– आरआरईसी द्वारा नोख सोलर पार्क की शिरोपरि ट्रांसमिशन लाईनो के पथ अधिकार में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चाही गई मुआवजा राशि की मांग के मद्धेनज़र मुआवजे राशि के संशोधित प्रस्ताव पर टिप्पणी बाबत्।

आरआरईसी का पूर्ण स्वामित्त क0 आरएरडीसीएल द्वारा **नोख सोलर पार्क विकसित किये जाने का कार्य किय जा रहा है। इस कार्य में** शिरोपरि ट्रांसमिशन लाईनो के पथ अधिकार में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा वर्तमान में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के तहत देय फसल खराबे की मुआवजा राशि पर असंतुष्टि व्यक्त की गई है जिससे यह कार्य विगत चार–पांच माह से निरन्तर समझाईस प्रयास के बावजूद बाधित है।

इस क्रम में कार्यालय के अ.शा. पत्र दिनांक 29.9.21 द्वारा जिला कलेक्टर जैसलमेर, बीकानेर एवं जोधपुर को नोख सोलर पार्क की शिरोपरि ट्रांसमिशन लाईनो के पथ अधिकार में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा चाही गई मुआवजा राशि की मांग के मद्धेनज़र मुआवजे राशि का उचित आंकलन पश्चात उचित प्रस्ताव भिजवानें का आग्रह किया गया था।

इस क्रम में जिला कलेक्टर जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर द्वारा अक्षय ऊर्जा निगम को जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय ग्रामीणों से वार्ता करने के पश्चात शिरोपरि ट्रांसमिशन लाईनो के टावर एवं दो टॉवरों के मध्य लगने वाले तार के रकबा के मुआवजे का उचित आंकलन कर प्रस्ताव प्राप्त हुये है। जिसके मुख्य बिन्दु 220 केवी (डी टाइप) टावर की वर्तमान अनुमोदित डिजाईन के आधार पर निम्नानुसार है –

1.	**प्रति टॉवर का अवाप्ति रकबा**	**}= 10 मीटर x 10 मीटर** **}= 100 वर्ग मीटर**
2.	**प्रति टॉवर प्रस्तावित मुआवजा राशि**	**}= प्रति टॉवर अवाप्ति रकबा x डीएलसी दर** **} x 4 (गुणांक)**
3.	**दो टॉवरों के मध्य लगाये जाने वाले तार से नुकसान हेतु रकबा**	**}= 250 मीटर (ल0) x 10 मीटर (चौ0)** **}= 2500 वर्ग मीटर**

4. **दो टॉवरों के मध्य लगाये जाने वाले तार से भूमि के नुकसान हेतु प्रस्तावित मुआवजा राशि** }= **दो टॉवर के मध्य लगाये जाने वाले तार हेतु अवाप्ति रकबा x डीएलसी दर x 1 (गुणांक)**

डीएलसी दर प्रति बीधा सड़क सीमा से दूरी तथा भूमि की किस्म यथा सिंचित/असिंचित, चको/ बारानी के अनुसार जिलावार एवं ग्रामवार पृथक–पृथक तय है। जिसका विवरण नियमानुसार है–

जिला – जोधपुर

क्र. सं.	ग्राम / चक (जिला)	डीएलसी दर प्रति बीधा	
		असिंचित/ बारानी	सिंचित/ चको
1.	मनचितिया	33210	39690
2.	सावरागांव	17820	21870
3.	कानसिंह की सीड	26730	32400
4.	रणजीत नगर	30780	34830
5.	जंभेश्वर नगर	30780	34830
6.	बडी सिड	36650	41310

जिला – बीकानेर

क्र. सं.	ग्राम	डीएलसी दर प्रति बीधा	
		असिंचित/ बारानी	सिंचित/ चको
1.	सेवड़ा व दादू का गांव	14560	–
2.	चक 6 एसएम ए 6,7 एसम 19,20 केएमडी 3,6 एमजीएम	–	35944

जिला – जैसलमेर

क्र. सं.	ग्राम	डीएलसी दर प्रति बीधा सड़क सीमा **से दूर**		डीएलसी दर प्रति बीधा सड़क सीमा से पास	
		असिंचित	सिंचित	असिंचित	सिंचित
1.	नोख	35640	53460	40095	60143

इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा फसल के नुकसान का मुआवजा राशि काश्तकारो को दिये जाने हेतु भी अनुशंसा की गई है

तथा

जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा उक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाईनों के टावरों तक निर्माण के दौरान जाने के लिये रास्ते, विद्युत टॉवरो की खुदाई से निकलने वाली मिट्टी व सामान डालने से खराब होने वाली फसल के नुकसान का आंकलन की गणना व अनुशंसा निम्नानुसार प्रेषित की है–

क्र. सं.	ग्राम	फसल का नाम	फसल खराबे की अनुमानित राशि प्रति	योग
1.	नोख	गवार	15,000 रूपये प्रति बीधा	15,000

जिला कलेक्टर बीकानेर द्वारा निजी खातेदारो को पूर्व में भारतमाला परि0 एनएच एक्ट 1956 में देय मुआवजा, राजस्थान सरकार की बिजली कम्पनीयों द्वारा देय मुआवजा एवं प्रस्तावित मुआवजा प्रभावित निजी खातेदार को उनकी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का तुलनात्मक विवरण भी प्रेषित किया गया है, जोकि निम्नानुसार है–

अ) निजी खातेदारो को **बारानी भूमि /फसल** की क्षतिपूर्ति राशि की तुलनात्मक विवरण – बीकानेर

भारतमाला परि0 एनएच एक्ट 1956 का मुआवजा (भूस्वामियों को) 100 वर्ग मीटर	पूर्व मे राजस्थान सरकार की बिजली कम्पनीयों द्वारा देय मुआवजा (निजी खातेदार को) 100 वर्ग मीटर	**प्रस्तावित मुआवजा प्रभावित निजी खातेदार को उनकी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का उचित आंकलन 100 वर्ग मीटर**
1 भूमि की किस्म– बारानी 2 भूमि का मूल्य– 704 रूपये 3 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार गुणांक – 2 4 धारा 30(1) के अनुसार प्रतिकर की भुगतान राशि के बराबर सोलिशियम कर राशि – 1409 रूपये 5 धारा 30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज – 78 रूपये	भारतीय इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2003 के सेक्शन 164 के अन्तर्गत निजी खातेदारों की भूमि में से को ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना के कारण हुए केवल फसल के नुकसान को राजकीय नियमानुसार मुआवजा गेंहू – 641 रूपये जौं – 374 रूपये सरसों – 536 रूपये चना – 507 रूपये	**1 भूमि की किस्म– बारानी** **2 भूमि का मूल्य– 728 रूपये** **3 प्रस्तावित गुणांक – 4** **4 प्रतिकर की भुगतान राशि – 2912 रूपये**
योग – 2895 रूपये	अधिकतम योग – 641 रूपये	**योग – 2912 रूपये**

ब) निजी खातेदारो को **कमाण्ड भूमि /फसल** की क्षतिपूर्ति राशि की तुलनात्मक विवरण –

भारतमाला परि0 एनएच एक्ट 1956 का मुआवजा (भूस्वामियों को) 100 वर्ग मीटर	पूर्व मे राजस्थान सरकार की बिजली कम्पनीयों द्वारा देय मुआवजा (निजी खातेदार को) 100 वर्ग मीटर	**प्रस्तावित मुआवजा प्रभावित निजी खातेदार को उनकी भूमि की क्षतिपूर्ति राशि का उचित आंकलन 100 वर्ग मीटर**
1 भूमि की किस्म– चक (कमाण्ड) 2 भूमि का मूल्य– 1604 रूपये 3 राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार गुणांक – 2 4 धारा 30(1) के अनुसार प्रतिकर की भुगतान राशि के बराबर सोलिशियम कर राशि – 3208 रूपये 5 धारा 30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज – 177 रूपये	भारतीय इलेक्ट्रिसिटी अधिनियम 2003 के सेक्शन 164 के अन्तर्गत निजी खातेदारों की भूमि में से को ट्रांसमिशन लाईन की स्थापना के कारण हुए केवल फसल के नुकसान को राजकीय नियमानुसार मुआवजा गेंहू – 641 रूपये जौं – 374 रूपये सरसों – 536 रूपये चना – 507 रूपये	**1 भूमि की किस्म– बारानी 2 भूमि का मूल्य– 1797 रूपये 3 प्रस्तावित गुणांक – 4 4 प्रतिकर की भुगतान राशि – 7188 रूपये**
योग – 6591 रूपये	अधिकतम योग – 641 रूपये	**योग – 7188 रूपये**

नोटः– उक्त प्रस्तावित राशियां 220 केवी द्विपथिय टावर के लिये प्रस्तावित है, जोकि अन्य टावर के डिजाईन एवं दो टावर के मध्य दूरी के अनुसार परिवर्तनीय होगी।

उक्त प्रस्ताव को राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट क0 की 47वीं बोर्ड मीटिंग में चर्चा एवं निर्देशन हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया है कि आरआरईसी द्वारा विभिन्न संस्थाओ यथा सेकी, आरवीपीएन, डिस्काम्स एवं अन्य राजकीय उपक्रमों से इस पर विवेचन एवं राय हेतु भिजवाया जाना चाहिये ताकि सुझावों को समावेश करते हुये अंतिम प्रस्ताव राजस्थान सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा सके।

अतः सभी संबंधित राजकीय उपक्रमों , संस्थाओं से निवेदन है कि इस प्रस्ताव पर अपने सुझााव सात दिवस में ईमेल : nokhsolarpark@gmail.com, rrecl@rajasthan.gov.in, rrecsoni15@gmail.com, rrec2016@gmail.com पर आवश्यक रूप से भिजवाने का श्रम करें।